निर्णय बइजलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 04/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2026/44

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड ....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री अशोक बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला ग्राम छाण, जिला सवाई माधोपुर अन्य पता – पट्टा सं. 37 ग्राम पंचायत छाण, पंचायत समिति खण्डार जिला स0मा0
2. श्री अशोक बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा जाति बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला ग्राम छाण, जिला सवाई माधोपुर अन्य पता – पट्टा सं. 37 ग्राम पंचायत छाण, पंचायत समिति खण्डार जिला स0मा0

........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री अशोक बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला ग्राम छाण, जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा संख्या 37, मिसल संख्या 137, बहक अशोक बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा निवासी छाण, ग्राम पंचायत छाण पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली बाद जुगराज बैरवा का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में जगदीश पुत्र तुलस्या बैरवा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 135.11 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 5,00,000/–(पांच लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा मकान के लिए आवश्यकतानुसार 3,25,000 (तीन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) का ही ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.03.2025 (प्रेषण दिनांक 20.03.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी ऋणी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु समय दिये जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बहस के दौरान ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में समय चाहा गया।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 12.03.2025 (प्रेषण दिनांक 20.03.2025) को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है किन्तु न्यायहित मे अप्रार्थी को बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान किये जाने हेतु 12 सितम्बर 2026 (चार माह) तक का समय दिया जाता हैं। यदि अप्रार्थी द्वारा नियत समयावधि तक बैंक ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया जाता है तो अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा संख्या 37, मिसल संख्या 137, बहक अशोक बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा निवासी छाण, ग्राम पंचायत छाण पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में गली बाद जुगराज बैरवा का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता व दक्षिण में जगदीश पुत्र तुलस्या बैरवा का मकान है, जिसका क्षेत्रफल 135.11 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने हेतु स्वतंत्र है।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी ऋणी को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner